न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 34/18

GCMS NO 2018/00203

1. श्रीनारायण पुत्र भूरया जाति खारवाल निवासी रामसिहपुरा तहसील गंगापुर सिटी(मृतक)
   1/1. भगवान सिह
   1/2. शक्ति सिह
   1/3. सुगर सिह
   1/4. सवाई सिह पिसरान स्व0श्रीनारायण
   1/5. कल्याण पत्नि स्व0श्रीनारायण
   1/6. शांति पुत्री स्व0श्रीनारायण जातियान खारवाल निवासीयान रामसिहपुरा तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. धर्म सिह पुत्र भौरया
2. नर्वदा पत्नि भौरया
3. शांति देवी पत्नि धर्मसिह जातियान खारवाल निवासीयान रामसिहपुरा तहसील गंगापुर सिटी
4. सीता पुत्री भौरया पत्नि रमेश जाति खारवाल निवासी किशोरपुर तहसील लालसोट जिला दौसा
5. श्रीमती द्रोपती पुत्री भोरया पत्नि नाथू जाति खारवाल निवासी लाडपुरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
6. बाढा पुत्री भौरया पत्नि स्व0कल्याण सिह जाति खारवाल निवासी गुढाचन्द्रजी तहसील नादौती जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 48/11 निर्णय दिनांक 18.1.18 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री अरविन्द्र अग्रवाल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम

दिनांक 26.03.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 18.1.18 न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/सायलान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 12 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि भूमि हाल ख0नं0 239 रकबा 0.10 है0, 240 रकबा 0.24 है0, 241 रकबा 0.15 है0 , 242 रकबा 0.12 है0, 316 रकबा 0.36 [illegible] 319 रकबा 0.08 है0, 344 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

1.16 है0 , 345 रकबा 0.96 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.67 है0 ग्राम रामसिहपुरा मे स्थित है। जिसको सायल आवंटन 1975 से जोतता एवं बोया चला आ रहा है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नही है। सायल उक्त भूमि का एक मात्र तनहा खातेदार टीनेन्ट है। जिसे अपनी जमीन के उपयोग उपभोग करने का पूर्ण हक हासिल है। गैरसायलान मुठमर्द झगलाडू किस्म के व्यक्ति है जो सायल पर अनावश्यक दबाब व भय दिखाकर गलत काम कराने की धमकी देते है। सायल अपनी उक्त आराजीयात पर दिनांक 25.6.11 को जोत लगाने गया तो गैरसायलान खेत पर जबरदस्ती आ गये और कहने लगे कि उपरोक्त आराजीयात को जोतने नही देगे। हम तुम्हारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करेगे। इससे पूर्व भी गैरसायलान द्वारा झगडा करने की कोशिश की गई थी। इस प्रकार सायल की उपरोक्त आराजीयात को शांतिपूर्वक जोतने के लिए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायल की उपरोक्त आराजीयात के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे तथा किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायल/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायल द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमे के तथ्यो के विपरीत जाकर गलत रूप से आदेश जारी कर उभयपक्षकारान रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यो के विपरीत जाकर आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। इस कारण आदेश निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति पर पृथक पृथक विचारण नही करके विधि के सुस्थापित सिद्वान्त के विपरीत जाकर उन सभी पर एक साथ विचार कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि, जिसे उसे आवंटित किया गया था वर्तमान मे भी अपीलार्थी के नाम है। अपीलार्थी के द्वारा मूल दावा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था जो कि व्यतिगत अनुतोष है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे स्वयं खातेदार को मौका व [illegible] पाबन्द कर कानूनी भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त [illegible] है। रेस्पो0 द्वारा अपने जबाब मे जिस राजीनामे का हवाला दिया गया है वह राजीनामा अपीलार्थी पर लागू नही होता, क्योकि उक्त राजीनामा स्वतंत्र सहमति के आधार [illegible] नही है। आक्षेपित आदेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:13 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी अपीलांट के ग्रामीण परिवेश का होने एवं अनभिज्ञ होने तथा फसल काटने का समय होने के कारण खेतो पर व्यस्त होने से अधिवक्ता से सम्पर्क नही हो सका। जानकारी होने पर अबिलम्ब यह अपील न्यायालय मे पेश की गई है। इस बिलम्ब को क्षमा योग्य होने से क्षमा किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त आराजीयात के बावत रेस्पो0 को पाबन्द फरमाया जावे कि अपीलार्थी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा अपीलांट के कब्जे काश्त मे व्यवधान उत्पन्न नही करे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पो/गैरसायलान के पिता/पति भौरया का पूर्वजो के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट का आवंटन के समय से ही काश्त करने का कथन गलत है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 की कब्जे काश्त की भूमि है जिसमे अपीलांट का 1/2 हिस्सा एवं रेस्पो0 का 1/2 हिस्सा है। उपरोक्त भूमि के साबिक ख0न0 141 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 142 रकबा 8 बिस्वा, 156 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, 152/169 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा था। पहले यह भूमि रेस्पो0 के पिता/पति भोरया एवं गैरसायल न0 6 के स्वसुर भोरया तथा सायल/अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। जिसके भोरया का 1/2 तथा वादी का 1/2 हिस्सा था। उक्त वादग्रस्त आराजीयात के बावत श्रीनारायण एवं भोरया के मध्य धारा 145 सीआरपीसी के तहत मु0न0 11/93 चला था। जिसमे दिनांक 7.6.94 को पक्षकारो के मध्य राजीनामा इस आशय का न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया कि उपरोक्त भूमि सायल एवं गैर सायल अर्थात इस हस्तगत दावे के वादी तथा भोरया की आधी आधी रहेगी। रिसीवर के पास जमा राशि भी दोनो पक्षो का आधी आधी रहेगी। जो राजीनामा के बाद दोनो पक्षो ने आधी आधी प्राप्त कर ली। कब्जे के बारे मे भी इसी प्रकार आधी आधी भूमि होने की घोषणा की जावे। इस राजीनामे के आधार पर उपजिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 17.7.96 को निर्णय पारित कर उक्त भूमि को रिसीवर से वागुजारस्त कर कब्जा वादग्रस्त आराजीयात पर आधा आधा रहा। दिनांक 6.8.95 को पंचो व गवाहो के समक्ष सायल श्रीनारायण ने उक्त वादग्रस्त भूमि मे वादी श्रीनारायण व भौरया व उसके पुत्र धर्म सिह की आधी आधी जमीन स्वीकार करते हुए इकरार किया कि उक्त भूमि गैरखातेदारी मे है उसे खातेदारी मे आते ही इस भूमि को श्रीनारायण गैरसायल धर्मसिह के पक्ष मे आधे हिस्से के विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवा देगा तथा रजिस्ट्री का खर्चा गैरसायल धर्मसिह वहन करेगा। इस संबंध मे इकरारनामा 20/–रूपये के स्टाम्प पर बकलमी गोपाल सिह तहरीर व तकमील पंचो के समक्ष किया गया जिस पर सायल श्रीनारायण [illegible] निशानी व गैरसायल धर्मसिह ने हस्ताक्षर कर दिये तथा तत्कालीन सरपंच व [illegible] ने भी उस पर हस्ताक्षर निशानी की। उक्त राजीनामे के बाद पक्ष[illegible] रहा। गैरसायल/रेस्पो0 गरीब कृषक है तथा कानून के जानकार नही है इस कारण उक्त राजीनामे के अनुसार आराजीयात मे 1/2 भूमि के खातेदार घोषित क[illegible]ने व राजस्व रिकार्ड मे संशोधन कराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

की कार्यवाही नही की गई। इस कारण राजस्व रिकार्ड मे अंकन नही हो सका। राजस्व रिकार्ड मे अकेले सायल का नाम ही रहा। जबकि वादग्रस्त आराजीयात मे आधे मे वादी एवं आधे मे गैरसायल का पूर्व की भांति कब्जा चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड का अनुचित लाभ उठाते हुए सायल द्वारा भूमि पर बैंक से रहन रखकर लोन ले लिया गया। गैरसायल/रेस्पो0 को इसकी जानकारी हुई तो उन्होने सायल से विधिवत मीटस एवं बाउन्डस से बंटवारा कराने की कही इस पर सायल नाराज हो गया तथा धमकी दी गई कि वह गैरसायल की 1/2 हिस्से की भूमि मे बाधा उत्पन्न करेगा। तथा भूमि से बेदखल करेगा। इस कारण गैरसायल/रेस्पो0 द्वारा सायल के विरूद्व दावा स्थाई निषेधाज्ञा, घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती एवं अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। दावा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। जिसमे विवादित आराजीयात के हक हकूक निर्धारित होना शेष है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के बावत अधिकार अपीलांट एवं रेस्पो0 द्वारा चाहने के कारण ही विवादित आराजीयात की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा कायम करने के आदेश पारित किये गये जो विधि के अनुरूप है। जिससे की पक्षकारान के मध्य वाद वाहुलता नही बढे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद वाहुलता की स्थिति के मद्वेनजर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 239 रकबा 0.10 है0 , 240 रकबा 0.24 है0, 241 रकबा 0.15 है0 , 242 रकबा 0.12 है0, 316 रकबा 0.86 है0, 319 रकबा 0.08 है0, 344 रकबा 1.16 है0 , 345 रकबा 0.96 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.67 है0 ग्राम रामसिहपुरा तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है। जो मुताबिक जमाबदी राजस्व रिकार्ड अनुसार श्रीनारायण पुत्र भूरया जाति खारवाल सा0देह गैरखातेदार के नाम दर्ज है। पत्रावली मे उपलब्ध इकरारनामा के अनुसार सायल श्रीनारायण एवं अन्य पक्षकारो के मध्य यह समझौता हुआ कि ''विवादित भूमि मे से आधी भूमि श्रीनारायण एवं आधी भूमि धर्म सिह पुत्र भोरया की रहेगी एवं रिसीवरी की राशि मे भी आधा आधा हिस्सा रहेगा। भूमि वर्तमान मे गेरखातेदारी मे दर्ज है भूमि सायल की खातेदारी मे दर्ज होते ही भूमि के 1/2 हिस्से की रजिस्ट्री गैरसायल के नाम करवा देगा''। इस राजीनामे के आधार पर ही उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी के यहॉ विचाराधीन मु0न0 11/93 धारा 145 सीआरपीसी को दिनांक 17.7.96 को निर्णित किया गया एवं माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश गंगापुर सिटी द्वारा भी दिनांक 16.7.98 को रिसीवरी की जमाशुदा राशि को पक्षकारान को आधी आधी देय होगी, का निर्णय पारित किया है। विवादित आराजीयात के हक एवं अधिकारो के बाबत वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। विवादित भूमि के संबंध मे किये गये इकरारनामे/राजीनामा से गैरसायलान के खातेदारी अधिकार उद्भूत होते है या नही, यह दावे मे तय किया जावेगा। विवादित आराजीयात मे अपीलांट/सायल एवं रेस्पो/गेरसायलान के निहित हित प्रभावित नही हो एवं पक्षकारो के मध्य वाद की वाहुलता

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नही हो इस स्थिति के मद्देनजर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को विवादित भूमि के मौके एवं रिकार्ड की ताफैसला दावा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश विधि अनुरूप ही पारित किये है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के मुकदमा न0 48/11 निर्णय दिनांक 18.1.18 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:13 IST
Reason: SelfAttested